संख्या-2024/ 001-2390-42-2023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-20/03/2024

विषयः- खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत जनपद गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज गोरखपुर में मल्टीपरपज हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी-433/नि0 स्पो0का0 गोरखपुर पत्रा0/2021-22, दिनांक 04.07.2023 व शासनादेश संख्या-03/बयालिस-2019-33(बजट)/2019, दिनांक 16.01.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत जनपद गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में मल्टीपरपज हाल के निर्माण कराये जाने हेतु उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन को आंकलित करते हुए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा प्रायोजना की लागत रू0 996.69 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु अब तक कुल रू0 800.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। भारत सरकार के पत्र संख्या- 29-18–एम0वाई0ए0एस0/एम0डी0एस0डी0/2018 दिनॉक 19-10-2022 द्वारा योजना हेतु अवशेष धनराशि रू0 196.69 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन करने के दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त कार्य हेतु अवशेष देय धनराशि रू0 196.69 लाख तथा जी0एस0टी0 की दरों में संशोधन के फलस्वरूप (दिनॉक 18-7-2022 से) 06 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 10.40 लाख की मांग की गयी। जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 10.40 लाख को प्रायोजना की पूर्व लागत रू0 996.69 लाख में जोडते हुए शासनादेश संख्या-।/524120/2024 File No.42-01099/319/2023, दिनांक 19.03.2023 द्वारा उक्त कार्य की कुल लागत रू0 1007.09 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गतोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03- खेलकूद तथा युवा सेवा- 800- अन्य व्यय-87-खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि से परियोजना हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुल लागत रू0 1007.09 लाख के सापेक्ष अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 2,07,09,000/-(रुपये दो करोड़ सात लाख नौ हजार मात्र)(जी0एस0टी0 सहित) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,07,09,000/- (रुपये दो करोड़ सात लाख नौ हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक,खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(3) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जायेगा।

(5) प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो, इस हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 का पूर्णतयाः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(11) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) निदेशक, खेल द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानक एवं उच्च कोटि की हो, इस हेतु निदेशक, खेल कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा गठित गुणवत्ता समिति से जॉच करा लें।

(14) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(15) शासनादेश संख्या-03/बयालिस-2019-33(बजट)/2019, दिनांक 16.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-I/524120/2024 File No.42-01099/319/2023, दिनांक 19.03.2023 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(16) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,07,09,000 (रुपये दो करोड़ सात लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202038008700 खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2024/ 001-2390-42-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।
7- सचिव, प्रबन्ध समिति, उ0 प्र0 स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
8- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर।
9- परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।